सेवा विस्तरण में आंशिक संशोधन

संख्या–2414/26–1–2015–2जी (150)/89

सेवा में,

निदेशक, समाज कल्याण/
जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2015

विषय– समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तरण (सत्रलाभ) विषयक निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन के संबंध में।

कार्य

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 276/स0क0/स्था0–2/258/वे0 कोपति/2015–16 दिनांक 26 जून 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–7704/26–1–90–2जी (150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों हेतु शैक्षिक सत्र के मध्य अर्थात 01 अप्रैल के बाद और 31 मार्च के पहले अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की दशा में शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात 31 मार्च तक सेवा विस्तरण का अनुमन्य किये जाने हेतु यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा सत्र मध्य अर्थात पहली जुलाई के बाद और 30 जून के पहले अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या –7022/15–1–94–31(16)/77 दिनांक 21.03.1984 में उल्लिखित सेवा शर्तों के अनुरूप समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को सेवा विस्तरण/सत्रलाभ की सुविधा शासनादेश संख्या–7704/26–1–10–2जी(150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 द्वारा प्रदान की गयी तथा कालान्तर में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के अधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को भी उक्त सुविधा शासनादेश संख्या–5717/26–1–95–2जी(150)/89 दिनांक 19 जनवरी 1996 द्वारा प्रदान की गयी। शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–1289/15–7–2014 दिनांक 16.10.2014 द्वारा

...क सत्र माह पहली जुलाई से 30 जून के स्थान पर पहली अप्रैल से 31 मार्च किया ... जिसके क्रम में समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 648/26/–2015–10(1)/2015 दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा समाज कल्याण विभाग के अधीन ...चालित विद्यालयों / संस्थाओं हेतु शैक्षिक सत्र 01 अपेल से 31 मार्च तक की अवधि निर्धारित किया जा चुका है।

...एव समाज कल्याण तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों ...वक्ताओं प्रधानाध्यापकों तथा प्राधानाचार्या एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ...कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु के पश्चात सेवा विस्तारण (सत्रलाभ) सम्बंधी शासनादेश संख्या–7704/26–1–90–2जी(150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 तथा शासनादेश संख्या–5717/26–1–95–2जी(150)/89 दिनांक 19 जनवरी 1996 में ... सत्र पहली जुलाई से 30 जून के स्थान पर शैक्षिक सत्र 01 अपैल से 31 मार्च समझा जा...

इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा विस्तरण/सत्रलाभ प्रकरणों ... सेवा शर्तो के अधीन उपर्युक्तानुसार निर्धारित नवीन शैक्षिक सत्र के अनुसार प्र... उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(ह०)

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव